कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

क्रमांकः मु.अ./अनु.ग्यारह/2017–18/डी– 1616 दिनांकः 07/02/18

परिपत्र

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के परिशिष्ट–XI के अन्तर्गत "संविदा की शर्तें" के क्लॉज 45 एवं क्लॉज 45(क) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसरण में जिन कार्यों पर मूल्य फेरफार खण्ड (Price Variation Clause) लागू होता हो उन सभी कार्यों में निर्धारित घटकों (मेटेरियल) की दरों में हुई वृद्धि/कमी के आधार पर धनात्मक/ऋणात्मक मूल्य विचलन की गणना करने के पश्चात ही फाइनल बिल का भुगतान किये जाने हेतु इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक मु.अ./अनु.ग्यारह/15–16/डी– 718 दिनांक 01.01.2016, 34 दिनांक 12.04.2016 एवं 235 दिनांक 15.06.2016 तथा 830 दिनांक 09.11.2016 द्वारा सभी अधिनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया गया था।

शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान ने पत्र क्रमांक प.8(1)सा.नि.वि./2017 डी–303 दिनांक 30.01.2018 द्वारा निर्देशित किया गया है कि अन्तिम समयावधि प्रकरणों में मूल्य वृद्धि की गणना एवं देय/वसूली योग्य राशि का विवरण आवश्यक रूप से संलग्न कर प्रस्तुत किये जावें।

अतः सभी अधिनस्थ कार्यालयों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिन कार्यों पर मूल्य फेरफार खण्ड (Price Variation Clause) लागू होता हो उन सभी कार्यों में निर्धारित घटकों (मेटेरियल) की दरों में हुई वृद्धि/कमी के आधार पर धनात्मक/ऋणात्मक मूल्य विचलन की Spanwise गणना करने के पश्चात ही बिलों का भुगतान किया जावे। साथ ही अन्तिम समयावधि प्रकरणों में मूल्य वृद्धि की गणना एवं देय/वसूली योग्य राशि का विवरण (संभाग के वरीष्ठतम लेखाकर्मी से जांच एवं प्रमाणित) आवश्यक रूप से संलग्न कर प्रस्तुत किये जावें।

(सी. एल. वर्मा)
मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव
सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

क्रमांकः मु.अ./अनु.ग्यारह/2017–18/डी– 1616 दिनांकः 07/02/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव/वरिष्ठ निजी सहायक मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव/वित्तीय सलाहकार, सा.नि.वि., राज., जयपुर।
4. निजी सहायक, मुख्य अभियन्ता (भवन/एन.एच./पीएमजीएसवाई/एस.एस./पथ/यांत्रिक), सा.नि.वि., राज., जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि., (समस्त), राज.।
7. तकनीकी सहायक प्रथम/अधीक्षण अभियन्ता (भवन/एन.एच./पीएमजीएसवाई/एस.एस/यातायात/पथ/बी.ओ.टी./मैकेनिकल), सा.नि.वि., राज., जयपुर।
8. अधीक्षण अभियन्ता (समस्त वृत–कार्यालय), सा.नि.वि., राज.।
9. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, प्रभारी आंतरिक जांच दल (मुख्यालय/ समस्त–संभाग), सा.नि.वि., राज. को निर्देशित किया जाता है कि खण्डीय कार्यालयों के लेखों की आंतरिक जांच के दौरान ऐसे समस्त प्रकरणों का विश्लेषण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करावें।
10. अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय), सा.नि.वि., राज., जयपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (समस्त), सा.नि.वि., राज.।
12. रक्षित पत्रावली।

(सुरेश कुमार वर्मा)
वित्तीय सलाहकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

क्रमांकः—प.8(1)सा0नि0वि0/2017 D-303 जयपुर दिनांकः—30/01/2017

मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,राज0 जयपुर।

मुख्य अभियन्ता (पीएमजीएसवाई)/एनएच/पथ/भवन
सार्वजनिक निर्माण विभाग,राज0 जयपुर।

विषयः—अन्तिम समयावधि प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में।

संदर्भः—मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग,राज0 जयपुर का परिपत्र क्रमांक मु.अ./अनु ग्यारह/15/16/डी—34 दिनांक 12/4/2016 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक :प.8(1)सा.नि./2017/डी—283 दिनांक 24/11/2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित परिपत्र/पत्र के क्रम में लेख है कि अन्तिम समयावधि प्रकरणों के निस्तारण में जिन कार्यो में मूल्य फेरफार खण्ड (Price Variation Clause) लागू होता है उन सभी प्रकरणों में निर्धारित (मेटेरियल) की दरों में हुई वृद्धि/कमी के आधार पर एस्केलेशन की गणना करने के पश्चात् ही फाईनल बिल का भुगतान किए जाने हेतु समय—समय उल्लेखित बिन्दुओं की पालना हेतु निर्देशित किया गया था।

इस संदर्भ में पुनः लेख है कि संदर्भित परिपत्र/पत्र एवं प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.वि. के निर्देशानुसार अन्तिम समयावधि प्रकरणों में मूल्य वृद्धि की गणना एवं देय/वसूली योग्य राशि का विवरण आवश्यक रूप से संलग्न कर प्रस्तुत किये जावे।

CE PWD
RR No 5504/08
Date 31-1-18

(एम0एल0मीणा)
शासन सचिव
30/1/18

प्रतिलिपि श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग,राज0 जयपुर को सूचनार्थ।

CE & AS

(एम0एल0मीणा)
शासन सचिव
30/1/18

कार्यालय वित्तीय सलाहकार
4257
2.2.18
सा.नि.वि., राज., जयपुर